Heat Wave Action Plan 2025

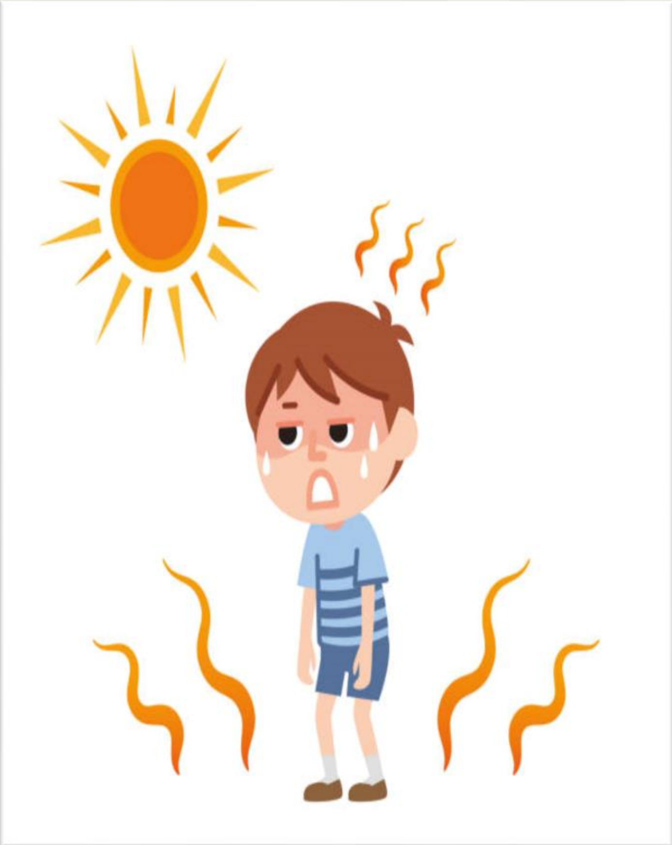

District Disaster Management Authority

D.M. Office - Gonda

राजेश श्रीवास्तव,
जिला आपदा विशेषज्ञ
गोण्डा

आलोक कुमार
पी.सी.एस.
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
गोण्डा

नेहा शर्मा
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी
गोण्डा

पृष्ठभूमि एवं वस्तुस्थिति

(Background and current situation)

21वीं सदी की शुरूआत के बाद से एशिया में तापमान और बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान के औसत में वैश्विक वृद्धि और अधिक होगी, हीट वेव दुनिया भर में मृत्यु और रूग्णता का एक महत्वपूर्ण कारण है, तथा जलवायु परिवर्तन से उष्मा तरंगों की तीव्रता के कारण गर्मी की घटनाओं के प्रभाव में वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी है। इस बढ़ते तापमान को मनुष्य द्वारा महसूस भी किया जा रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77.73 प्रतिशत ग्रामीण एवं 22.27 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश की अधिकांश जनता का जीवन–यापन अधिक तापमान, वर्षा, बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। जनपद में ग्रीष्म ऋतु का अधिक प्रभाव रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जनपद गोण्डा में तापमान 40° से 46°तथा कभी–कभी और ऊपर तक पहुंच जाता है।

मानचित्र (Map)

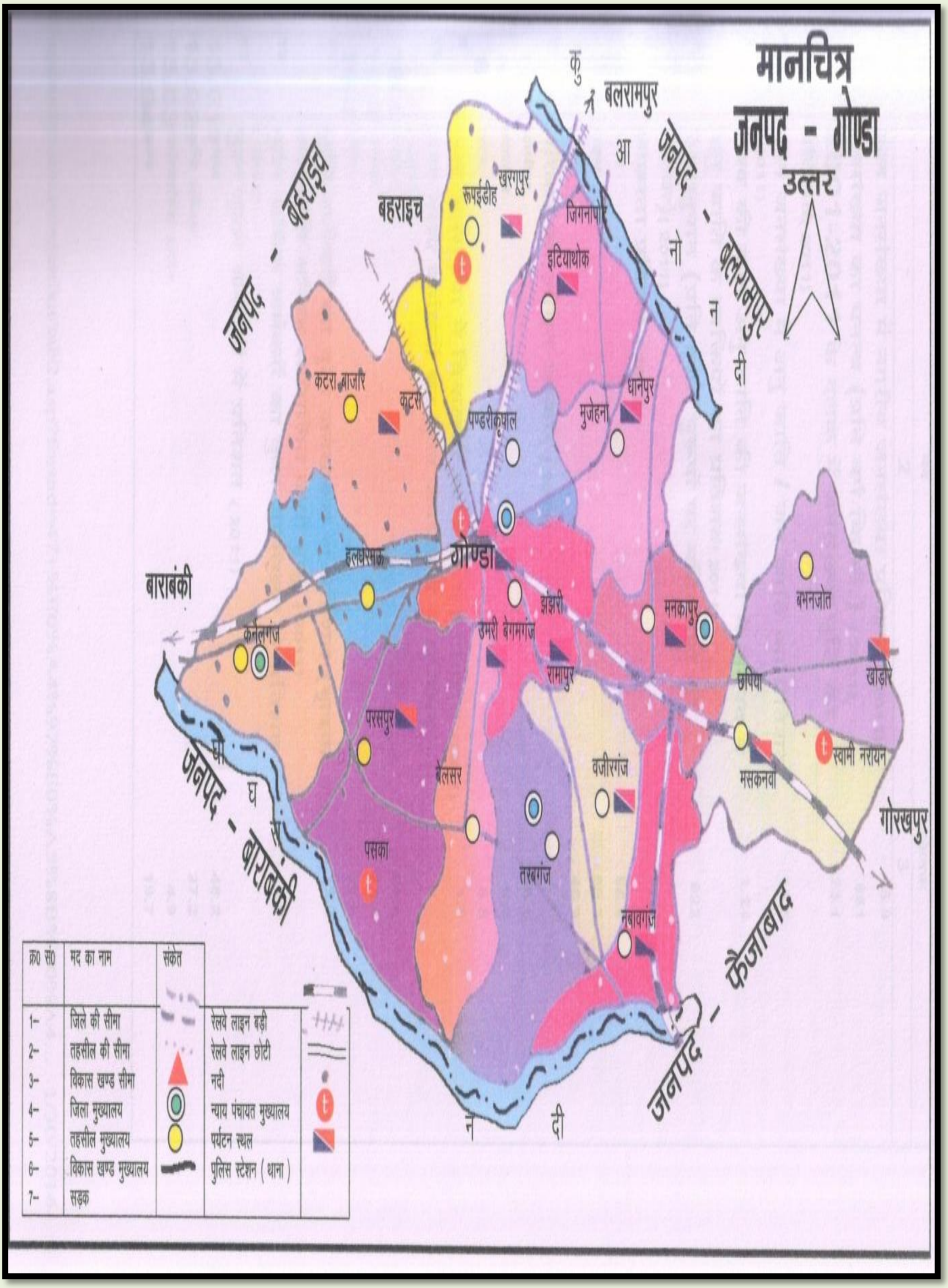

मानचित्र
जनपद - गोण्डा
उत्तर
बलरामपुर
जनपद - बलरामपुर
कु आ नो न दी
जनपद - बहराइच
बहराइच
बाराबंकी
जनपद - बाराबंकी
घा घ रा
जनपद - फैजाबाद
न दी
गोरखपुर
रुपईडीह
खरगुपुर
जिगनापुर
इटियाथोक
धानेपुर
मुजेहना
कटरा बाजार
कटरा
पण्डरीकृपाल
गोण्डा
हलधरमऊ
झंझरी
मनकापुर
बभनजोत
कर्नलगंज
उमरी बेगमगंज
रामपुर
छपिया
खोड़ारे
परसपुर
बेलसर
वजीरगंज
मसकनवां
स्वामी नरायन
पसका
तरबगंज
नबावगंज
क्र0 सं0
मद का नाम
संकेत
1- जिले की सीमा
2- तहसील की सीमा
3- विकास खण्ड सीमा
4- जिला मुख्यालय
5- तहसील मुख्यालय
6- विकास खण्ड मुख्यालय
7- सड़क
रेलवे लाइन बड़ी
रेलवे लाइन छोटी
नदी
न्याय पंचायत मुख्यालय
पर्यटन स्थल
पुलिस स्टेशन (थाना)

District Profile

गोण्डा जनपद उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल में घाघरा नदी के उत्तर देवीपाटन मण्डल में स्थित है। जनपद के पूरब की सीमा पर जनपद बस्ती पश्चिम में जनपद बहराइच, उत्तर में जनपद बलरामपुर तथा दक्षिण में फैजाबाद व बाराबंकी जनपद स्थित है। विश्व के मानचित्र में जनपद गोण्डा 26.41 से 27.51 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 81.30 से 82.06 पूर्वी देशान्तर के मध्य में अवस्थित है।

इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 4003 वर्ग किमी0 है, जो देवीपाटन मण्डल के कुल क्षेत्रफल का 28.13 प्रतिशत है। इस जनपद में 04 तहसीलें गोण्डा, मनकापुर, करनैलगंज एवं तरबगंज है। इन तहसीलों में तहसील गोण्डा का क्षेत्रफल 1249.48 वर्ग किमी0, तहसील मनकापुर का 763.70 वर्ग किमी0, तरबगंज का 963.31 वर्ग किमी0 व करनैलगंज का 1026.51 वर्ग किमी0 है। इस प्रकार जनपद गोण्डा के कुल क्षेत्रफल का 31.21 प्रतिशत तहसील गोण्डा, 19.07 प्रतिशत तहसील मनकापुर, 24.06 प्रतिशत तहसील तरबगंज व 25.64 प्रतिशत तहसील करनैलगंज का क्षेत्रफल है।

जनपद में बाराही देवी, खैरा भवानी तथा शंकर जी दुःखहरन नाथ एवं पृथ्वीनाथ मन्दिर अपनी धरोहर दीर्घकाल से सजोये हुए है। जनपद पूर्वी जनपदों से काफी पिछड़े जनपदों में आता है। तहसील करनैलगंज व तरबगंज सरयू , घाघरा की तलहटी में बसा है, यही कारण है कि इस क्षेत्र में बाढ़ एवं सूखे की बराबर सम्भावना बनी रहती है। फिर भी प्राकृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र उपजाऊ है।

यह जनपद अपने ऐतिहासिक गौरव को सजोये हुए है। भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई में यह जनपद अग्रणी रहा है। यहॅा के राजा देवीबक्श सिंह एक वीर योद्वा व देशभक्त राजा थे, जिन्होनें स्वतन्त्रता की लड़ाई में अंग्रेजो के साथ लड़ते–लड़तें अपने जीवन के साथ–साथ अपने परिवार को भी न्यौछावर कर दिया। उनका बनवाया हुआ सागर तालाब आज भी नगर की शोभा बढ़ा रहा है।

जनपद में घाघरा, सरयू एवं कुआनों तीन प्रवाहिनी नदियां है। इसके अतिरिक्त बिसुही, मनवर व टेढ़ी मौसमी नदियां है। घाघरा नदी जनपद की दक्षिणी सीमा बनाती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सरयू नदी जनपद के दक्षिण पश्चिम दिशा से विकास खण्ड करनैलगंज में प्रवेश करती हुई पसका के पास घाघरा नदी में मिल जाती है।

Definition of heat wave and related criteria defined by IMD- Standard heat wave is considered if maximum temperature of a station reaches at least 40C or more for plains and at least 30 c or more for hilly region

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 03 दिन तक वहां के सामान्य तापमान से 03°C या अधिक बना रहे तो उसे लू या हीट वेव कहते है। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 05 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 5°C अधिक बना रहे अथवा लगातार दो दिन तक 45°Cसे अधिक का तापमान बना रहे तो उसे **हीट वेव** या **'लू'** कहते हैं। जब वातावरणीय तापमान 37°Cतक रहता है तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नही पड़ता है। जैसे ही तापमान 37°Cसे ऊपर बढ़ता है तो हमारे शरीर को प्रभावित करने लगता है। नीचे दिये गये तापमान/आर्द्रता सारणी से स्पष्ट है:—

तापमान जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री या सामान्य तापमान से अधिक रहता है तो उष्मा की तंरगें या हीटवेव घोषित की जानी चाहिए। उच्च दैनिक चरम तापमान और लंबें समय तक, अधिक तीव्र गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं। भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है जो गर्मी की लहरों के बढ़े हुए उदाहरणों के रूप में जो प्रत्येक गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र होते हैं और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। जिससे गर्मी की लहर हताहतों की संख्या बढ़ जाती है।

उच्च दैनिक चरण तापमान और लंबे समय तक, अधिक तीव्र गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण विष्व स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं। भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है जो गर्मी की लहरों के बढ़े हुए उदारहरण के रूप में है जो प्रत्येक गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र होते हैं, और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं जिससे गर्मी की लहर हताहतों की संख्या बढ़ जाती है। लू (हीट—वेव) घोषित करने के लिए उपरोक्त मानदंडो में से कम लगातार 2 दिनो के लिए बना रहना होगा। यह दूसरे दिन लू (हीट—वेव) की स्थिति घोषित किया जाएगा।

विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव (लू) का प्रभाव

(Impact of heat wave on different sector)

जनपद गोण्डा में अक्टूबर से फरवरी तक सर्दियों का मौसम तथा मार्च से मध्य जून तक गर्मी, मध्य जून से सितम्बर तक वर्षा ऋतु का मौसम रहता है। गर्मी के मौसम में 38° से 45° तक तापमान हो जाता है। वर्ष 2022 का अधिकतम तापमान 44° तक पहुंच गया था। वर्ष 2023 का अधिकतम तापमान 43° तक पहुंच गया था।

Highest Temperature and number of heat wave days during last 5 years between the months of March. and

Year	Maximum Temperature Recorded				
	March	April	May	June	July
2019	32.5	44.2	42.1	42.9	35.9
2020	34.2	42.5	41.5	43.7	37.7
2021	36.7	42.5	41.5	43.7	37.4
2022	39.2	43.	43.8	44.2	40.5
2023	37	43.5	44.2	43.8	41.0
2024	38.2	43.2	43.8	43.9	42.8

लू (हीट–वेव) फसल उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को अत्यधिक प्रभावित करती है जिससे फसलों का अत्यधिक नुकसान होता है। रवी तथा जायद की फसलें हीटवेव से अधिक प्रभावित होती है।

लू (हीट–वेव) की स्थिति अत्यधिक लम्बे समय तक बने रहने से असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को दिन के समय हीट से बचने के लिए घर के अन्दर रहना पड़ता है जिससे उनके कार्य व उनकी आजीविका प्रभावित होती है।

वर्ष 2024 के माह अप्रैल, मई, जून में अधिकतम तापमान का विवरण निम्नवत् है:–

April temperatures in Gonda

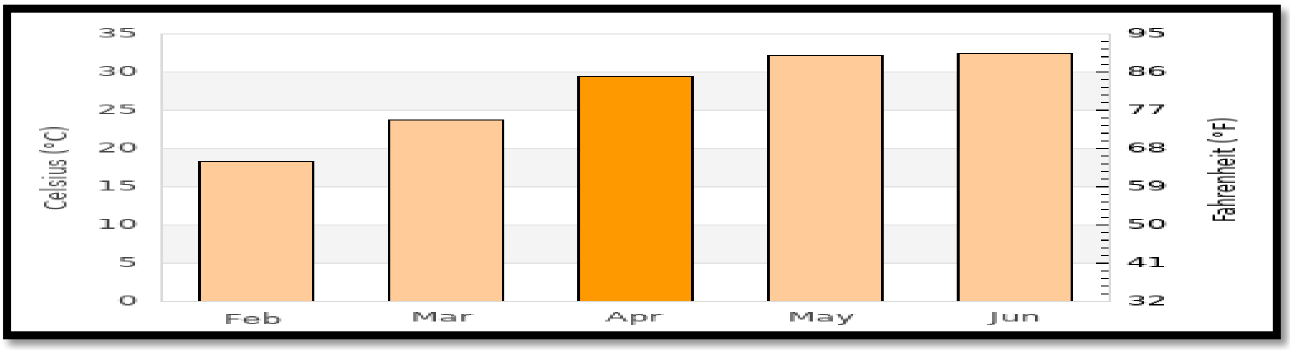

May temperatures in Gonda

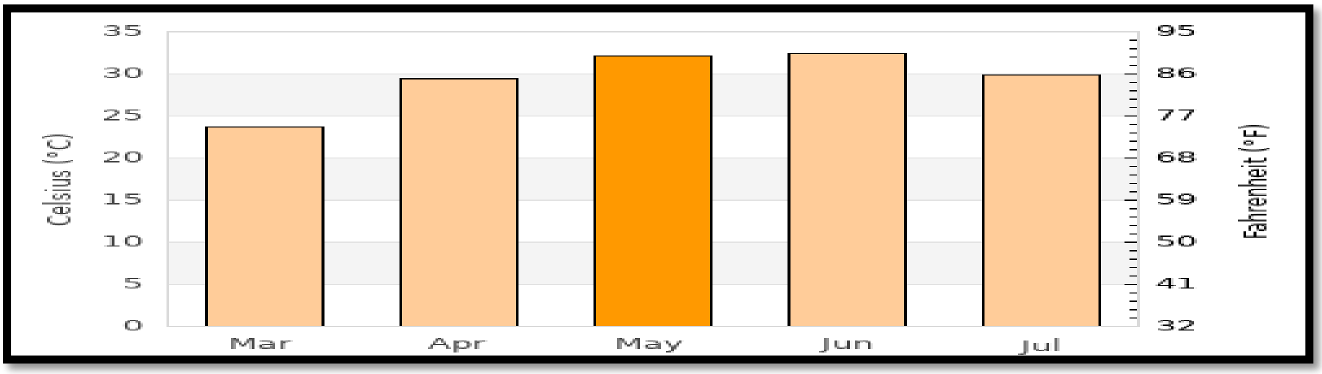

June temperatures in Gonda

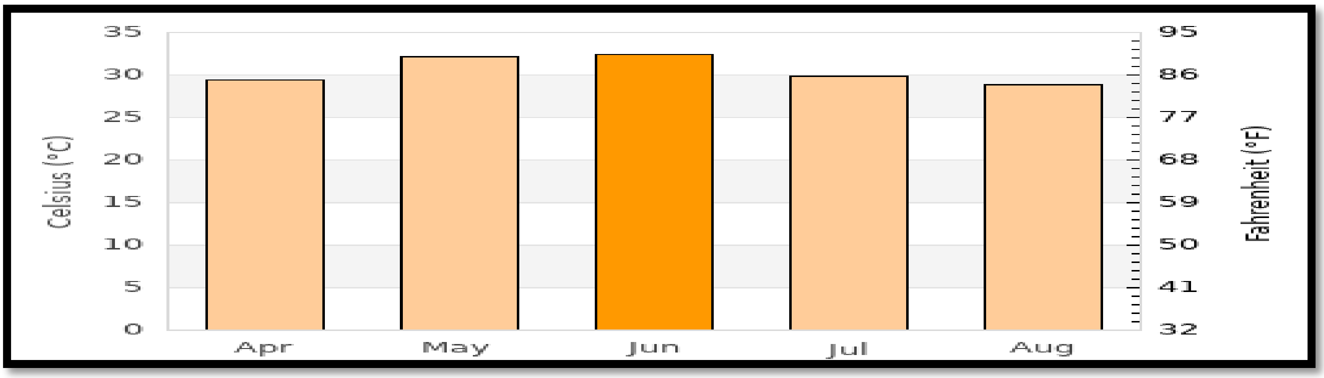

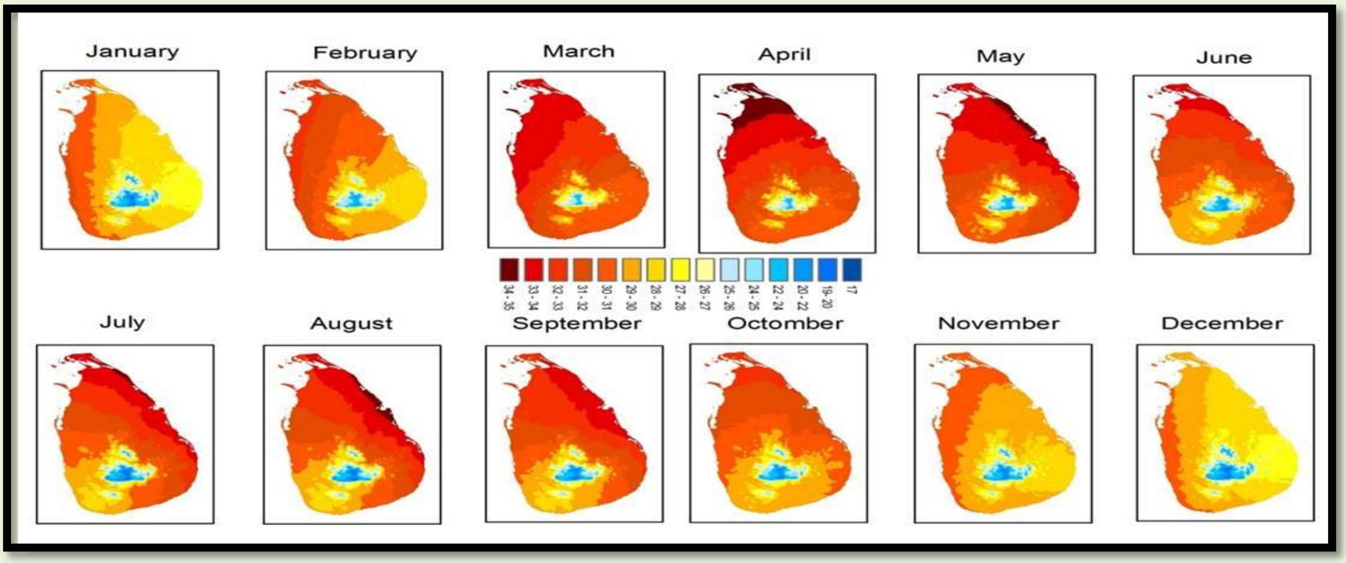

हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का सूत्रण

Formulation of heat wave management action plan

जनपद स्तर पर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष हीट वेव कार्य योजना तैयार किया जाता है। जिसमें जनपद के सम्बंधित विभागों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां भी शामिल रहती हैं।

लू–प्रकोप (Heat wave) कार्य योजना के उद्देश्य :–

(Need for Heat wave Management Action Plan)

- ○लू (हीट–वेव) के प्रति संवेदनशील क्षेत्र की पहचान।
- ○लू (हीट–वेव) से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना।
- ○हितधारको की भूमिकाये एवं जिम्मेदारियॉ।
- ○स्वास्थ्य जोखिमों के समाधान के लिए एजेन्सियों का समन्वय।
- ○लू (हीट–वेव) की घटना से पूर्व चेतावनी/अलर्ट।
- ○प्रलेखन रिपोर्टिंग।

जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना)

जनपद में सामान्य अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण ग्रीष्मकाल में लू (हीट–वेव) का प्रकोप देखा जाता है। प्रायः मानसून के आगमन से पूर्व अधिकतम तापमान में माह जून तक वृद्धि होती है कभी– कभी माह जुलाई में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। हाल ही के वर्षो में भारत में लू (हीट–वेव) के कारण हताहतो की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लू (हीट–वेव) की तीव्रता भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यद्यपि लू (हीट–वेव) के कारण भारत में वर्ष 2013 में 1216, वर्ष 2014 में 1677, तथा वर्ष 2015 सवाधिक 2422 व्यक्ति हताहत हुए है। लू (हीट–वेव) के कारण वन जीव एवं पशु–पशुओं की भी मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। जनपद में लू (हीट–वेव) के कारण जनहानि, पशुहानि संख्या शून्य है।

(लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियाँ

- पूर्व चेतावनी तंत्र एवं एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित करना जिससे सम्बन्धित विभागो को निदेर्शित किया जा सके, जिससे जनसामान्य को सचेत व जागरूक किया जा सकें।

- लू (हीट–वेव) के दौरान इससे सम्बन्धित बीमरियों की पहचान एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों, पैरी मेडिकल स्टाफ व सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना जिससे हीटवेव पीडित व्यक्तियों को प्रभावी चिकित्सा सहायता प्राप्त हो सकें।

- प्रिन्ट इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया एव आई0ई0सी0 मेटेरियल जैसे– पर्चे, पोस्टर विज्ञापन आदि के माध्यम से हीटवेव की स्थिति में क्या करे क्या न करे के सम्बन्ध में जन–जागरूकता में वृद्वि करना ।

गोण्डा में स्थापित आटोमैटिक वेदर सिस्टम

लू (हीट–वेव) बचने हेतु आश्रयों/रैनबसेरा

Shelter Home Heat wave / Colling Aria

- गैर सरकारी संगठनो एवं अन्य सामाजिक सगंठनो के सहयोग से लू (हीट–वेव) बचने हेतु स्थाई आश्रयों/रैनबसेरों का निर्माण करना।

पूर्व चेतावनी प्रणाली तंत्र–पूर्व चेतावनी प्रणाली तंत्रस्थापित करना एवं संस्थाओं का आपसी समन्वय जिससे अत्यधिक तापमान पूर्व चेतावनी की सूचना निवासियों को दी जा सके।

क्षमता संवर्धन/प्रशिक्षण कार्यक्रम–चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर गर्मी से उत्पन्न बीमारियों को पहचानने एवं उसका इलाज करने सम्बन्धी प्रशिक्षण/जानकारियां देकर रूग्ण दर एवं मृत्यु दर कम किया जा सके।

- मेडिकल ऑफिसर
- पैरामेडिकल स्टॉफ
- सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी
- गैर सरकारी संस्थाएं

a. जन जागरूकता एवं समुदाय को आगे बढ़ाना–

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आई0ई0सी0 सामग्रियां जैसे– पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से इलाज के उपाय, बीमारी से रोकथाम, गर्म हवा से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना

b. गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सहभागिता–

गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के साथ सहभागिता कर बस स्टैण्ड एवं जहां आवश्यक हो वहां अस्थायी शेल्टर का निर्माण, क्षेत्रों में पानी आपूर्ति का कार्य जिससे लू–प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सके।

4– लू–प्रकोप अवस्था आने के पूर्व की योजनाः–

a. गर्म हवा से शहर एवं गांवों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की सूची तैयार करना।

b. शहर एवं गांवों में होर्डिंग, स्क्रिन, ब्लैक बोर्ड की संख्या बढ़ाना जिसमें तापमान का पूर्वानुमान लोगों की जानकारियां हेतु प्रदर्शित किया जा सके।

c. क्षमता संवर्धन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना। जिसमे अस्पताल कर्मी, विद्यालय, आंगनवाड़ी सेविका, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्थाएं, समुदाय के प्रधान आदि को शामिल करना।

d. अस्पतालों में गर्म हवा के प्रकोपों के इलाज हेतु सामग्रीयों का स्टॉक तैयार रखना/एम्बुलेंस आदि की संख्या बढ़ाना।

हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र

Heat wave Early Warning Communication system

I.M.D. से प्राप्त हीट वेव के पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी देना एवं सूचना प्रदर्शित करना। समुदाय के बीच गर्मी की चेतावनी प्रचार प्रसार हेतु एस0एम0एस0, वॉट्सएप ग्रुप, टी0वी0, एफ0 एम0 रेडियो, विद्यालय, ब्लैक बोर्ड, पंचायत के नोटिस बोर्ड आदि के माध्यम से चेतावनी का प्रचार प्रसार करना।

a) वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम पूर्व चेतावनी का प्रसार प्रचार कर जागरूक करना।

b) रैन बसेरा को पूरे दिन भर के लिए क्रियाशील करना, अन्य अस्थाई शेल्टर को क्रियाशील करना।

c) पेयजल की व्यवस्था करना एवं उसके आपूर्ति की व्यवस्था करना (विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में)

d) जनपद स्तर पर स्थापित ईमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर के माध्यम से (कन्ट्रोल रूम के माध्यम से तहसील/ब्लाक/ग्राम स्तर पर सूचना का आदन प्रदान किया जाता है और तहसील ब्लाक स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाती हैं।

विभिन्न विभागों/एजेन्सी के चरणवार उत्तरदायित्व SOP

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
पंचायतीराज विभाग	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
	ग्रामीण क्षेत्र के जलाषयों/ तालाबों में आवष्यकतानुसार जल भराना। वृक्षारोपण कराना पेयजल की व्यवस्था करना। स्वच्छता की रणनीत बनाना।	ग्रामीण क्षेत्रो के सार्वजनिक स्थलो, चौराहो व आवष्कयतानुसार संबंधित ग्रामो में पानी की टंकी/टैंकरो आदि की व्यवस्था कराना सुनिष्चित करायें। आवष्यकतानुसार विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हाकरण करते हुये विभिन्न स्थलों पर प्याउ (गिलाष सहित) आदि का व्यवस्था कराना।	आकलन करना। रिपोर्ट करना। वित्तीय कार्य। आगामी कार्य योजना का निर्माण।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
परिवहन विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी एवं पीने के पानी तथा यात्रियों के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था कराना।	बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी एवं पीने के पानी तथा यात्रियों के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था कराना। बस स्टैण्डों पर यात्रियों के लिए छायां एवं पेयजल की व्यवस्था करना।	मरम्मत कार्य कार्य योजना का निर्माण। आवश्यकतानुसार संसाधन हेतु रणनीत बनाना।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
पशुपालन विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	उक्त समय में पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आने वाले अगले गर्मी के मौसम से पूर्व सर्तक रहते हुए जनजागरूकता अभियान चलाते हुए पशुपालको को गर्मी से बचाव हेतु जैसे– उन्हे छाया में रखना एवं समय समय पर नहलाना आदि की जानकारी प्रदान की जाती है	अप्रैल से जून के मध्य प्राय गरमी अधिक होती है अतः सभी पशुपालको को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे खुरपका/मुहॅपका रोग का निःशुल्क टीकाकरण कराये एव गलाघोटू बीमारी के टीकाकरण भी जो कि निःशुल्क विभाग द्वारा लगाये जा रहे है सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारियो/गठित टीम के माध्यम से टीकारण अवश्य कराये।	जुलाई के माह में प्रायः अगस्त तक वारिश का मौसम रहता है उक्त समय में गलाघोटू बीमारी हो जाती है जिसके लिए जनपद स्तर पर टीका मगा लिया जाता है एवं जनपद में टीकाकरण करा लिया जाता है। नबम्वर से दिसम्वर तक प्रायः सर्दी का मौसम रहता है इसमें पशुओं के ठण्ड से बचाने के उपाय किये जाते है जनपद में मुहपॅका/खुरपका रोग की 5,84,000 एवं गलाघोटू रोग का 4,32,950 डोज का टीकाकरण किया जा चुका है।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
शिक्षा विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	समस्त विद्यालयों में आगामी माह में अत्यअधिक गर्मी से बचाव हेतु कक्षा/कक्षों में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार पंखो की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। ठण्डे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाय।	समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यो को पत्र जारी कर निर्देशित करते हुये छात्र/छात्राओ को लू के दौरान बिन्दुवार सावधानियॉ रखने की सलाह– 1. छात्र/छात्राआ एवं शिक्षकों को पर्याप्त और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहे। 2.खुद को हाईड्रेड रखने के लिये ओ0आर0एस0 घोल , नारियल पानी, नीबू पानी छाछ, आदि घरेलू पेय पदार्थो का इस्तमाल करें 3. हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपडे पहने। 4. धूप में निकलते समय सिर को ढक कर रखे 5.विद्यालयों में साफ एवं ठण्डे पानी की व्यवस्था किया जाना। 6. बहुत अधिक आवश्यकता होने पर धूप/गर्मी में घर से वाहर निकले। 7. कक्षा–कक्षों की खिडकियों को खुला रखें और कमरों में पंखों की व्यवस्था करें। 8. अचानक ठण्डी जगह से एक दम गरम जगह में न जायें। 9.गर्मी के मौसम में चाय कॉफी गरम पेय का सेवन कम करें एवं मसालेदार चीजों का सेवन कम करें। सभी छात्र/छात्राओं को सलाह दी जाये कि घर से निकलते समय खाली पेट न जाये। हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करें।	मौसम परिवर्तित होने पर शरीर को पूर्ण रूप से ढकने वाले कपडो का इस्तमाल करने हेतु समस्त छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाय। जुलाई अगस्त माह में वर्षा वाले मौसम में होने वाली बिमारियों के प्रति छात्र/छात्रओं को जागरूक किया जाना।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
श्रम विभाग	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए समय (12:00 से 03:00 बजे) हीट वेव/लू से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए समय (12:00 से 03:00 बजे) हीट वेव/लू से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। कार्य करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था कराना। सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाये। श्रमिकों/कामगारों के कार्य घंटों में परिवर्तन किए जाये।	कार्य करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था किये गये रिपोर्ट बनाकर प्रेशित करना। आगामी वर्श की रणनीत बनाना।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
अग्निशमन विभाग	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
	अग्निशमन/जीवरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन यूनिटों को संशाधनों के सहित 24x7 के अनुसार क्रियाशील रखेंगे	लू के दौरान अग्निदुर्घटना/ जीवरक्षा कार्यों हेतु मानव व मशीनों को सदैव तैयारी हालत में रखना तथा जनसाधारण को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम व बचाव के उपायों से निरन्तर प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करना।	अग्निशमन/जीवरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन यूनिटों को संशाधनों के सहित 24x7 के अनुसार क्रियाशील रखेंगे।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
स्थानीय शहरी निकाय,	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्य करना। सेल्टर होम हेतु स्थान का चिन्हिकरण करना। स्वच्छता हेतु कार्य योजना बनाना।	मंदिरों/लोक भवन/मॉल में कुलिंग सेंटर संचालित किए जाये। नगरीय क्षेत्रो के सब्जी मण्डी/चौराहो व सार्वजनिक स्थलो पर षीतल जल की समुचित व्यवस्था तथा नगर के दूर–दराज क्षेत्रो में पानी आदि की व्यवस्था सुनिष्चित कराना। आवष्यकतानुसार विभिन्न नगरीय क्षेत्रो/स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हाकरण करते हुये विभिन्न स्थलों पर प्याऊ (गिलाष सहित) आदि का व्यवस्था कराना।	किये गये कार्यों का आकलन करना। आगामी वर्श की तैयारी करना। क्षति का आकलन करके कार्य योजना बनाना।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	जनमानस के जागरूक करने हेतु सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रनिक मीडिया व अन्य संसाधन संस्थाओं के साथ बैठक का रणनीत बनाना।	बल्क मैसेज भेजने के लिए पोर्टल बनाना। गर्मी से संबंधित बीमारियों पर जन जागरूकता समाचार पत्र,सोशल मीडिया(व्हाट्सएप्प, फेसबुक आदि) के माध्यम से हीट वेव से बचाव का व्यापक प्रचार प्रसार कराना।	आगमी सत्र की तैयारी करना। किये गये कार्यों को मूल्यांकन। बजट की कार्य योजना बनाना।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
जल निगम	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	सर्वे करना। खराब हैण्डपम्प, टयूवबेल व अन्य पेयजल का चिन्हिकरण करना।	पेयजल की व्यवस्था। हैण्डपम्प व टयूवबेल को सही रखना।	आगमी सत्र की तैयारी करना। किये गये कार्यों को मूल्यांकन। बजट की कार्य योजना बनाना।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
कृषि विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	1. समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय मौसम एवं तापमान की जानकारी किसानों तक पॅहुचाना। 2. किसानों को बताना कि गेहूॅ की कटाई दोपहर में न करें। सुबह व शाम के समय करें। 3. जायद की फसलें बाजरा, मक्का, उर्द एवं मूॅग की उन्नत प्रजातियों की समय से बुवाई करें। 4. उच्च तापमान के कारण फसलों में गर्मी के तनाव के कारण 15–25 प्रतिषत औसत उपज हानि हो जाती है। 5. उच्च तापमान के कारण फसल क्षति का मुख्य कारण मुख्य रूप से फूलों का गिरना तथा नये पौधों का मुरझा जाना। 6. हीटवेव(लू) का प्रभाव अधिकांश रबी एवं जायद की फसलों पर पड़ता है। 7. तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है।	1. जायद की फसलों में सुबह व शाम को आवश्यक सिंचाई करें, जिससे खेत में नमी बनी रहे। 2. किसान भाई खेत में काम करते समय पीने का पानी साथ में रखें। 3. किसान भाई सुबह व शाम के समय सिंचाई करें। दोपहर में न करें। 4. जायद की फसल जैसे मक्का के खेत में नमी बनी रहे जिससे भुट्टे में बीज की गुणवत्ता अच्छी रहे। 5. बाजरा की फसल में समय पर सिंचाई करें 6. मूॅग की तुड़ाई शाम के समय करें। अधिक तापमान में न करें। 7. तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है।	1. वर्षा ऋतु में खेत की मेड़ों पर वृक्ष लगाऐं। 2. किसान भाईयों को बताना है कि फसल अवशेष न जलायें।

विभाग का नाम	**उत्तरदायित्व**		
सिंचाई विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	सिंचाई विभाग के द्वारा माह जनवरी और मार्च के समय में सिंचाई हेतु कृषकों से संपर्क कर आकडें तैयार कर, अन्य स्थानों पर पानी की उपलब्धता हेतु समस्त कार्यो का सम्पादन कर लिया जाता है।	कृषको को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है एवं तालाबों में भी जल से भर कर जल उपलब्धता मुहइया कराये जाने हेतु कार्य किये जाते है। क्यों कि हीटवेव के समय पानी जल ही जीवन होता है। नहरों में जल की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।	जो कार्य लू के दौरान (अप्रैल–जून) किये जाते है यही प्रक्रिया लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर) भी जारी रहती है।

विभाग का नाम	**उत्तरदायित्व**		
वन विभाग	**लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)**	**लू के दौरान (अप्रैल–जून)**	**लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)**
	बैठक करना। चिन्हिकरण करना। जागरूक करना। पशु पक्षी हेतु पेयजल की व्यवस्था हेतु रणनीत।	पब्लिक प्लेस में उचित वनीकरण कराना सुनिश्चित करना। जंगल क्षेत्र में आग लगने से बचाने के लिए जल की व्यवस्था कराना। अधिक मात्रा में पेड़ लगवाना तथा जंगल एरिया बढ़ाना। वन क्षेत्र में जानवरों एवं पंक्षियों के लिए तालाब एवं पानी के स्त्रोतों का उचित प्रबन्धन करना।	आगमी सत्र की तैयारी करना। किये गये कार्यों को मूल्यांकन। बजट की कार्य योजना बनाना।

विभाग का नाम	उत्तरदायित्व		
विद्युत विभाग	लू के पूर्व (जनवरी–मार्च)	लू के दौरान (अप्रैल–जून)	लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर)
	खराब पड़े ट्रान्स्फार्मर–खम्भा व संसाधन का सर्वे करना तथा उसका मरम्मतर कराना।	विद्युत की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रखना। कन्ट्रोल रूम की स्थापना।	आगमी सत्र की तैयारी करना। किये गये कार्यों को मूल्यांकन। बजट की कार्य योजना बनाना।

Managing Heat Wave Related Illness

हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन

गर्मियों के मौसम में लू चलना आम बात है। ''लू'' लगना गर्मी के मौसम की बीमारी है। ''लू'' लगने का प्रमुख कारण शरीर में नमक और पानी की कमी होना है। पसीने के रूप में नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से निकलकर खून की गर्मी को बढ़ा देता है। सिर में भारीपन मालूम होने लगता है, नाड़ी की गतिबढ़ने लगती है, खून की गति भी तेज हो जाती है। सांस की गति भी ठीक नही रहती तथा शरीर में ऐंठन सी लगती है। बुखार काफी बढ़ जाता है। हाथ और पैरों के तालूओं में जलन सी होती रहती है। आँखें भी जलती हैं। इससे अचानक बेहोशी व अंततः रोगी की मौत भी हो सकती है।

Identification of heat related illnesses and first aid:

विभिन्न हीट वेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार की तालिका निम्नानुसार हैः—

हीट संबंधी रोग (हीट डिस ऑर्डर)	लक्षण	प्राथमिक उपचार
सन बर्न	त्वचा में लालिमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सिरदर्द।	साबुन का उपयोग करते हुये शावर आदि में स्नान कराना ताकि त्वचा मे तेल से बन्द छिद्र खुल जाए और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते है तो सूखे विसंक्रमिक ड्रेसिंग का उपयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह लें।
हीट क्रैम्प्स	उदरीय मांश पेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफदेह एंठन (स्पाज्म); ज्यादा पसीना आना।	पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाएं, क्रैम्पिंग मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा ऐंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें। पानी को बूंद–बूंद के रूप में पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दें।
हीट एक्जाशन	अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी, त्वचा ठण्डी पीली तथा चिप–चिपी होना, सिरदर्दसामान्य तापमान मे भी होना संभव, बेहोशी, उल्टी।	ठण्डे स्थान में मरीज को लेटायें फिर वस्त्र को ढीला करें। ठण्डे कपड़े का उपयोग करें, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए। पानी को बूंद–बूंद करके पिलायें; यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें।
हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक)	उच्च शारीरिक तापमान (106° या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा, तेज जोरदार नाड़ी (पल्स), बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बंद हो जाए।	हीट स्ट्रोक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति। 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फीलें पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारी की रोकथाम।

- कार्य हेतु घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त रूप से तरल पदार्थो का सेवन करना।
- जहातक सम्भव हो दोपहर के समय जब हीटवेव अपने चरम की स्थिति में हो तब खुले में कार्य करने से बचना चाहिए।
- तरल पदार्थो का नियमित रूप से सेवन करना।
- हीटवेव से सम्बन्धित बीमारियों के लक्षणो के दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी चिकित्सा सहायाता लेना।
- तेज धूप में निकलने से बचे अगर तेज धूप में निकलना जरूरी है तो निकलते वक्त छाता लगा ले या टोपी पहन ले एवं ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर अधिक से अधिक ढ़का हो।
- हीट–स्ट्रोक से बचने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर घर से बाहर निकला जाय एवं समय–समय पर पानी का प्रयोग करते रहना चाहिए।
- निर्जलीकरण से बचने के लिए अति आवश्यक है कि अधिक मात्रा में पानी, मौसमी फलों के रस, गन्ने का रस, कच्चे आम का रस, नारियल का पानी, ओ0आर0एस0 घोल, का उपयोग किया जाय।
- चाय तथा काफी पीने से परहेज करें।
- अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गर्मी से पीड़ित है तो व्यक्ति को छायादार स्थान के नीचे किसी ठंडी जगह पर ले जाय। पानी या एक निर्जल पेय दें।
- लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब महसूस होने पर डाक्टर की सलाह लें।
- शराब, कैफीन कोई की नशीली वस्तु न दें।
- अपने चेहरे/शरीर पर एक गीला कपड़ा रखकर व्यक्ति को ठंडा करें।
- बेहतर वेंटिलशन के लिए ढ़ीले कपड़े पहने।
- आपातकालीन किट अवश्य बनाय कर रखे निश्चित स्थान पर ही रखे।
- पानी की बोतल हमेशा साथ रखें।
- छाता, टोपी, सिर ढकने के लिए तौलिया, गमछा आदि पास में रखे।

हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्राथमिक उपचार

- सर्वेप्रथम व्यक्ति का तापमान लेकर प्रभवित व्यक्ति को किसी छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए।
- मरीज को ठंडी करे तथा उसके शरीर को स्पंज अथवा गीले कपड़ें से पोछे।
- मनुष्य के शरीर के उच्च तापमान को नियत्रित कर 100 डिग्री फा0 तक रखने प्रयास करें।
- मरीज को ठंडी जगह में रखें।
- मरीज को ठंडे पानी के टप में रखे अथवा उसके उपर बर्फ की पटटी रखे जब तक कि उसका तापमान 100 डिग्री0 फा0 तक न हो जाये।
- निर्जलीकरण की स्थिति में आई0वी0 फलूडस दें।
- गम्भीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सालय/इकाई में भेजकर उपचार करायें।
- पीडित व्यक्ति के त्वचा पर ठण्डे पानी का छिडकाव करना चाहिए तथा पंखे की सहायता से हवा देनी चाहिए।
- सचेत होने की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को नियमित तरल पदार्थ/ओ0आर0ए0 घोल देना चाहिए।
- पीड़ित व्यक्तियो को यथा शीघ्र सहायता देना चाहिए।

हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ो का सुंग्रहण

Identification of Heat Wave Related Casualties and Collection of Data

हीट वेव से होने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक राहत दी जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना आवश्यक है।

हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु को दर्ज करनाः– हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु/मृतकों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है।

- **हीटवेव (लू) से संबेधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी**
- लू–प्रकोप के सम्बंध मे जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चालाना एवं ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट जारी करना।
- सन स्ट्रोक से बचाव के लिए जन सूचना जारी करने के साथ–साथ आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारियों को तैनात करना।
- 108/102 आपातकालीन सेवाएं सक्रिय करना।
- सभी अस्पतालों/पी.एच.सी./सी.एच.सी. में ओ.आर.एस. और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था कराना।

➢ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को हीट वेव से किसी भी प्रकार की घटना होने पर 24×7 क्रियाशील रहने हेतु क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित किया जाना।

हीटवेव (लू) के दौरान क्या करें क्या न करें!

Do's and don't during heat wave.

लू

क्या करे–

1. कड़ी धूप में बाहर न निकले, खासकर दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक के बीच।
2. गरम हवा के स्थिति जानने के लिये रेडियो सुने, टी0वी देखे, समाचार पत्र पर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान की जानकारी लेते रहे।
3. जितने बार हो सके पानी पीये,प्यास न लगा हो तभी पानी पीये ताकि शरीर मे पानी की कमी से होने वाली बीमारी से बचा जा सके।
4. हल्के रगं के ढीले ढाले सूती वस्त्र पहने ताकि शरीर तक हवा पहुचे और पसीने को सोख कर शरीर को ठंडा रखे।
5. धूप में बाहर जाने से बचे, अगर बहुत जरुरी हो तो गमछा, चश्में, छाता, टोपी एवं जूते या चप्पल पहनकर ही घर से बाहर निकले।
6. शराब, चाय, कॉफी जैसे पेय पदार्थो का इस्तमाल न करे, यह शरीर को निर्जलित कर सकते है।
7. यात्रा करते समय अपने साथ बोतल में पानी जरुर रखें। गीले कपड़े को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखें।
8. गर्मी के दिनों में ओ0आर0एस0 का घोल पिये। अन्य घरेलू पेय जैसे, नीबू पानी, कच्चे आम का बना लस्सी आदि का प्रयोग करे, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो।
9. अगर आपकी तबीयत ठीक न लगे, तो गर्मी से उत्पन्न हाने वाले विकारों, बीमारियों को पहचाने। तकलीफ होने पर तुरन्त चिकित्सकीय परामर्श ले।
10. जानवरों को छायादार स्थान में रखें, उन्हे पीने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी दें।
11. अपने घर को ठंडा रखें, घर को पर्दे से ढक कर या पेन्ट लगाकर 3–4 डिग्री तक ठंडा रखा जा सकता है।
12. रात में अपने घरो की खिड़िकियो को अवश्य खुली रखें।
13. कार्यस्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था रखें।
14. फैन, ढीले कपड़े का उपयोग करे। ठंडे पानी से बार–बार नहाएं।

क्या न करें–

1. धूप मे, खडें वाहने में बच्चे एवं पालतू जानवरों को न छोडें।
2. खिड़की की रिफलेक्अर जैसे एल्युमुनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढककर रखे, ताकि बाहर की गर्मी का अन्दर आने से रोका जा सके।
3. उन खिड़कियो दरवाजे पर जिनसे दोपहर के समय गर्म हवाएँ आती है, काले कपड़े/पर्दे लगाकर रखना चाहिए।
4. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सूनें और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सर्तक रहें।
5. आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
6. जहॉ तक सम्भव हो घर में ही रहे , सूर्य के सर्म्पक से बचें।
7. सूर्य की तापमान से बचने के लिए जहॉ तक सम्भव हो घर की निचली मंजिल में ही रहें, सबसे उपरी मंजिल में कदापि न रहें, ताप के प्रभाव से लू (हीट–वेव) का शिकार होने की सम्भावना प्रायः बनी रहती है।
8. संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
9. दिन के 11 बजे से 3 बजे के बीच बाहर न निकले।
10. गहरे रंग के भारी एवं तंग वस्त्र पहनने से बचें।
11. खाना बनातें समय कमरे के खिड़की एवं दरवाजे खुले रखे, जिससे हवा का आना जाना बना रहे।
12. नशीले पदार्थ, शराब तथा अल्कोहल के सेवन से बचें।
13. उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचें। बासी भोजन न करें।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला प्रशासन द्वारा की गयी गतिविधियां
Activities Undertaken by DDMA/District Administration

- आई0आर0एस0 के तर्ज पर रणनीत बनाना मोक्ड्रिल कराना जिला आपदा प्रबंधन की बैठक कराना।
- सम्बन्धित विभाग के साथ बैठक कर रणनीत बनाना।
- लू से बचाव हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियोन कराना।
- कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना।
- सम्बन्धित विभाग के साथ प्रतिदिन रणनीत बनाना/चर्चा करना।
- समय–समय पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराना।
- क्षमतावर्धन कराना।
- मीटिगेशन फण्ड से आपदा न्यूनीकरण का कार्य कराना।
- आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण हेतु कार्य योजना का निर्माण करना।
- सेंडई फ्रेमवर्क पर कार्य करना।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्य करना।
- जन जागरूकता अभियान।

जिला आपदा प्रंबधन प्राधिकरण की बैठकः—

हीटवेव से बचाव हेतु कूल रूफ पेन्टः—

5.1 हीटवेव से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये अभिनव कार्य/बेस्ट प्रेक्टिसेज, उपाय (सामुदायिक जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व तैयारी, कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षात्मक उपाय, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रतिवेदन तथा अन्य कार्य।

DAILY REPORT OF THE HEAT STROKE CASE AND DEATHS

CASES AND DEATHS DUE TO HEAT RELATED ILLNESS- GONDA

SR.NO.	DATE	NAME OF DISTT.	NEW CASES ADMITTED DUE TO HEAT RELATED ILLNESS IN GONDA	COMMULATIVE NO. OF CASES ADMITTED DUE TO HEAT RELATED IKKNESS IN GONDA	DEATHS REPORTES DUE TO HEAT RELATED ILLNESS IN GONDA	COMMULATIVE NO. OF DEATHS DUE HEAT RELATED ILLNESS IN GONDA	REMARK (IF ANY SHORTAGE OF IV FLUIDE/TREATMEN T FACILITIES ETC.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16-03-2023	Gonda	0	0	0	0	-

17.3.23

CHIFE MEDICAL OFFICER
GONDA

- हीट बेव से सम्बन्धित बीमारियों के प्रबंधन हेतु ग्राम स्तर पर गठित कमिटियों के द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें समुदाय के लोगों को जागरूक किया गया कि हीट बेव से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें।
  सर्वे कराकर आंकडों का संग्रह करके कार्य किया गया ।
  सुरक्षात्मक उपायों के साथ हीट बेव से बचने का रणनित बनाया गया।

हीट वेव से बचाव हेतु “राहत चौपाल”

जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में राहत चौपाल का आयोजन किया गया।

हीट वेव से बचाव हेतु ''प्रशिक्षण कार्यक्रम''

Capacity building and profile training programme

जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग करती हुई महिलायें।

हीट वेव से बचाव हेतु
"जागरूकता कार्यक्रम"

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा तय की जाती हैं जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारी कर्मचारी,समुदाय के लोगो को समय–समय पर आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण हेतु प्रशिक्षण व मार्कड्रिल कराया जाता हैं स्कूल अस्पताल ग्रामवासियों इत्यादि लोगो को आपदा प्रबंधन का अलग–अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

5.3 दीर्घकालिक हीटवेव (लू) से सुरक्षा के उपाय।

- लोगों को हीटवेव से बचाव के लिए जागरूक किया जाय।
- समुदाय व सम्बन्धित विभाग को प्रशिक्षण कराया जाय।
- आवश्यकता के अनुसार संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए।
- समय–समय मोक्ड्रिल का आयोजन होना चाहिए।
- हीटवेव से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें इसका प्रचार–प्रसार होना चाहिए।

5.4 सीखें

सभी विभाग/एजेन्सीज को समय से हीट वेव एक्शन प्लान तैयार कर अगले वर्ष के लिये तैयार रहना चाहिए। ताकि गर्मी से होने वाले नुकसान, मृत्यु एवं बीमारी को कम किया जा सके।''

5.5 हीटवेव (लू) से संबंधित मामलों का अध्ययन

हीटवेव से हुए हानि का सर्वे एवं पारिवारिक, भूगोलिक, सामाजिक एवं संसाधनों की उवपलब्धता पर गहन अध्ययन करके आगामी रणनीत बनाकर कार्य किया जाय।

5.6 वित्तीय प्रावधान

हीटवेव से बचाव हेतु मीटिगेशन फण्ड से वित्तीय प्रावधान किया गया है।

हीटवेव का वित्तीय प्राविधानः–

उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 2(छ) में यह उल्लेख है कि आपदा का तात्पर्य राज्य के किसी भाग में प्रकृति या अन्यथा घटित होने वाली ऐसी वास्तविक आसन्न घटना, संकट, आपदा, घोर विपत्ति, अनर्थ, दुर्भाग्य, अभाग्य या विनास से है जिससे स्थावर और जंगम दोनो सम्पत्ति की व्यापक क्षति व नुकसान या मानव जीवन की व्यापक हानि का मानवों की क्षति या बीमारी या पर्यावरण की क्षति या उसका ह्रास से है, जो अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए सामना करना, प्रभावित जनसमुदाय की क्षमता से परे हो और जनसमुदाय की सामान्य कार्यप्रणाली को विच्छिन्न करता हो। गर्मी लहर को भारत सरकार द्वारा अभी तक एक आपदा के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। नेशनल/स्टेट डिजॉस्टर रेस्पांस फण्ड के मानदंडो के अन्तर्गत राहत के लिए आपदाओं की सूची में लू/हीटवेव को अधिसूचित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या–303/1–11–2016–4(जी)/16 दिनांक 27.06.2016 द्वारा लू–प्रकोप/हीटवेव को राज्य आपदा घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हीटवेव को राज्य के विशिष्ट आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे अब लू–प्रकोप/हीटवेव एस0डी0आर0एफ0 से राहत के लिए कवर किया गया है। सभी सम्बन्धित विभाग गर्मी लहर की स्थिति को कम करने के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय कर सकते हैं।

हीटवेव राहत के लिए नियमों का प्राविधान :–

राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एनडीआरएफ) से सहायता प्रदान करने की मदों और मानदंडो की संशोधित सूची

गृह मंत्रालय के पत्रांक 33–03/2020–एनडीएम–I दिनांक 11 जुलाई, 2023

अवधि 2022–23 से 2025–26

क्र0	मद	सहायता की मानक दरें
1	**अहैतुक सहायता**	
	मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	रु0 4.00 लाख/प्रति मृतक
	किसी अंग अथवा आँखों के बेकार हो जाने पर देय सहायता	रु0 74,000/– प्रति व्यक्ति शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के मध्य हो। रु0 2.50 लाख प्रति व्यक्ति शारीरिक विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो।
	गम्भीर चोट जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े	रु0 16,000/– प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से अधिक भर्ती पर) रु0 5,400/–प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम भर्ती पर)
	प्राकृतिक आपदा के कारण बहे हुए/पूर्णतया क्षतिग्रस्त/दो दिन से अधिक समय के लिए जलमग्न हुए घरों के परिवारों के लिए	रु0 2,500/– प्रति परिवार, कपड़ों के नुकसान पर। रु0 2,500/– प्रति परिवार बर्तन/घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर
	उन परिवारों के लिए अहैतुक सहायता जिनकी आजीविका प्राकृतिक आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है	जिन परिवारों की आजिविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है ऐसे प्रभावित परिवारों के दो व्यस्क सदस्यों को मनरेगा की प्रतिदिन वास्तविक दर या सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की औसत दर जो भी कम हो के अनुसार आनुग्राहिक राहत प्रदान की जायेगी। इस प्रयोजन के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना का औसत दर की गणना के लिये संदर्भ लिया जा सकता।
2	**कृषि**	
क	**भूमि व अन्य क्षति हेतु सहायता**	
	(क) कृषि भूमि की डी–सिल्टिंग (जमा रेत/गाद की मोटाई 3 सेमी0 से अधिक पर)	रु0 18,000/– प्रति हेक्टेयर उपर्युक्त राशि प्रति किसान न्यूनतम 2200/– रू0 की सहायता के अध्यधीन है।
	(ख) भूस्खलन, हिमस्खलन, नदी के प्रवाह बदलने से भूमि के अधिकांश भू–भाग का नष्ट हो जाना	रु0 47,000/– प्रति हेक्टेयर उपर्युक्त राशि प्रति किसान न्यूनतम 5000/– रू0 की सहायता के अध्यधीन है।
ख	**कृषि निवेश अनुदान (फसल नुकसान 33 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर)**	
	(क) कृषि फसलों, बागबानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए	रु0 8,500/– प्रति हैक्टेयर असिंचित क्षेत्र उपर्युक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम 1000/– रू0 के अधीन है और बोये गये क्षेत्रों तक सीमित है।

		रू0 17,000/– प्रति हैक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में उपर्युक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम 2000/– रू0 के अधीन है और बोये गये क्षेत्रों तक सीमित है।
	(ख) बहुवर्षीय फसलें	रू0 22,500/– प्रति हैक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/कृषि वानिकी (स्वयं के खेत मे वृक्षारोपड़ के लिये और यह सहायता प्रति किसान न्यूनतम रू0 2500/– की सहायता के अध्यधीन तथा बोये गये क्षेत्रों तक सीमित है।
	(ग) रेशम उत्पादन	रू0 6,000/– प्रति हे0 ऐरी मलबरी, टसर के लिये रू0 7,500/– प्रति है0 मूंगा के लिये।
3	**पशुपालन हेतु सहायता**	
	बड़े दुधारू पशु जैसे भैंस, गाय, ऊँट, याक, मिथुन आदि	रू0 37,500/– भैंस/गाय/ऊंट/याक/मिथुन आदि के लिये
	छोटे दुधारू पशु जैसे भेड़, बकरी, सूअर	रू0 4,000/– भेड़/बकरी/सुअर के लिये
	गैर दुधारू पशुओं के लिये	रू0 32,000/– ऊंट/घोड़ा /बैल आदि के लिये। रू0 20,000/– बछड़ा/गधा/खच्चर/टट्टू/ हेफर के लिये
	पोल्ट्री, कुक्कुट	रू0 100/– प्रति कुक्कुट
4	**मत्स्य पालन क्षति**	
	मछुआरों को आंशिक क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत हेतु	रू0 6,000/–
	पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौकाओं के प्रतिस्थापन हेतु	रू0 15,000/–
	आंशिक क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत हेतु	रू0 3,000/–
	पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन हेतु	रू0 4,000/–
	छोटे एवं सीमान्त किसानों को मछली के चारे हेतु इनपुट सब्सिडी	रू0 10,000/– प्रति हेक्टेयर
5	**हस्तशिल्प/हतकरघा हेतु दस्तकारों को सहायता**	
	क्षतिग्रस्त औजार/सयंत्र के प्रतिस्थापन के लिए	रू0 5,000/– प्रति दस्तकार
	कच्चा माल/अर्धनिर्मित उत्पादों/पूर्ण तैयार उत्पादों में हुई क्षति के लिए	रू0 5,000/–
	मकानों हेतु सहायता	
	पूर्णतः क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट अथवा अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने पर– 1) पक्का मकान 2) कच्चा मकान	रू0 1,20,000/– प्रति मकान (मैदानी क्षेत्र) रू0 1,30,000/– प्रति मकान (पहाड़ी क्षेत्र)
	आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का घर	रू0 6,500/– प्रति मकान
	आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चा घर	रू0 4,000/– प्रति मकान
	क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी	रू0 8,000/– प्रति झोपड़ी
	मकान से सम्बद्ध पशुशाला	रू0 3,000/– प्रति शेड

नोटः– इस संबंध में विस्तृत जानकारी जनपद के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।

भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ

जनपद के नोडल अधिकारी या जिलाधिकारी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर कमजोर समूहों की सूची तैयार कराकर उनके लिए हीट वेव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की योजना बनवाना, समय–समय पर कार्यवाही कीसमीक्षा करना, हीट वेव के लिए प्रतिक्रिया तंत्र मे शामिल सम्बन्धित विभागों, एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित करना तथा एक्शन प्लान बनाना आदि।

1–प्रतिक्रिया तंत्र मे शामिल सम्बन्धित विभागों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँः–

1.1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–

- लू–प्रकोप के सम्बंध मे जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चालाना एवं ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट जारी करना।
- सन स्ट्रोक से बचाव के लिए जन सूचना जारी करने के साथ–साथ आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारियों को तैनात करना।
- 108/102 आपातकालीन सेवाएं सक्रिय करना।
- सभी अस्पतालों/पी.एच.सी./सी.एच.सी. में ओ.आर.एस. और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था कराना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को हीट वेव से किसी भी प्रकार की घटना होने पर 24×7 क्रियाशील रहने हेतु क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित किया जाना।

1.2. निरोधात्मक तथा शमनात्मक उपायों, तैयारी संबंधी स्वास्थ्य विभाग की भूमिका तथा जिम्मेदारियांः–

- इस हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा।
- हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।
- चूंकि हीट संबंधी रूग्णता/रोग परिहार्य/परिवर्तनीय है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त निरोधात्मक रणनीति अपनायी जाए।
- ओ0आर0एस0 का भण्डारण/संचय।

सामुदायिक स्तर पर–

- खुले जगह पर किसी तरह का सामूहिक कार्यक्रम न रखा जाए।
- दोपहर मे बच्चों के साथ यात्रा न करें।
- दोपहर मे शारीरिक श्रम नही करना चाहिए।
- मादक द्रव्य का सेवन नही करना चाहिए।
- जगह–जगह पर पेयजल एवं विश्राम स्थान का व्यवस्था होना चाहिए।

व्यक्तिगत स्तर पर–

- दोपहर में लम्बी दूरी के लिए पैदल न चलें।
- मादक द्रव्य का सेवन न करें।
- अपने शरीर को अच्छी तरह गीले कपड़ों से आवश्यकतानुसार ढके रहें।
- अधिकतम मात्रा में ठंडा पानी का सेवन करना चाहिए।
- ORS घोल पीना चाहिए जिसे पानी एवं आवश्यक उर्जा की मात्रा बनी रहे।

जलवायु अनुकूलन (एक्लीमेटाईजेशन)–

तुलनात्मक रूप से ठण्डी जलवायु वाले देश/प्रदेश से आने वाले लोगों को कम से कम एक सप्ताह तक घर से बाहर खुले में न घुमने हेतु बताया जाए ताकि नये गर्म जलवायु में उनकेअन्दर रहने की योग्यता उत्पन्न हो जाए। साथ ही प्रचुर मात्रा में पानी पीने हेतु बताया जाना चाहिए। नये (ऊष्ण) वातावरण में वातावरण का सामना करने से जलवायु अनुकूलन धीरे–धीरे हो जाता है।

1.2. परिवहन विभाग–

- ➢ बस स्टैण्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी एवं पीने के पानी तथा यात्रियों के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था कराना।
- ➢ बस स्टैण्डों पर यात्रियों के लिए छाया एवं पेयजल की व्यवस्था करना।

1.3. पशुपालन विभाग–

- ➢ मवेशियों की सुरक्षा के लिए हीट वेव एक्शन प्लान की तैयारी, कार्यान्वयन और समीक्षा करना।
- ➢ गर्मी की स्थितियों के दौरान पशु प्रबन्धन पर पशुधन के किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों को सक्रिय करना।
- ➢ सार्वजनिक स्थानों पर लू से बचाव के लिए पशु प्रबन्धन पर उपायों को पोस्टर के माध्यम से प्रकाशित करवाना।
- ➢ मवेशियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करना।

➢ पशुओं को सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाना साथ ही पशु केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं का भण्डारण सुनिश्चित हो तथा पशु चिकित्सकों के माध्यम से ग्रामीणें को पशुओं की सुरक्षा एवं लू से बचाव हेतु जागरूक किया जाना।

1.4. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग–

➢ बल्क मैसेज भेजने के लिए पोर्टल बनाना।

➢ गर्मी से संबंधित बीमारियों पर जन जागरूकता समाचार पत्र, सोशल मीडिया(व्हाट्सएप्प, फेसबुक आदि) के माध्यम से हीट वेव से बचाव का व्यापक प्रचार प्रसार कराना।

1.5. पंचायती राज विभाग–

➢ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत काम करने का समय 12:00 से 03:00 बजे तक प्रतिबंधित करना।

➢ काम करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था कराना।

1.6. शिक्षा विभाग–

➢ विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से लू–प्रकोप बचाव, उपाय, खान–पान के विषय में प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाये साथ ही उक्त जानकारी पोस्टर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना।

➢ दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच संचालित स्कूलों के समय–सारिणी में बदलाव कराना।

➢ दोपहर के समय आउटडोर एक्टिविटी बंद कराना।

➢ विद्यालयों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था, ओ.आर.एस. आइस पैक एवं प्राथमिक उपचार का उचित प्रबन्धन कराना।

1.7. वन विभाग–

- पब्लिक प्लेस में उचित वनीकरण कराना सुनिश्चित करना।
- जंगल क्षेत्र में आग लगने से बचाने के लिए जल की व्यवस्था कराना।
- अधिक मात्रा में पेड़ लगवाना तथा जंगल एरिया बढ़ाना।
- वन क्षेत्र में जानवरों एवं पंक्षियों के लिए तालाब एवं पानी के स्त्रोतों का उचित प्रबन्धन करना।

1.8. अग्नि शमन विभाग–

- लू(हीट वेव)के प्रति जनसमुदाय के मध्य प्रचार–प्रसार करके जागरूक करना।
- लू के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा मुख्यालय एवं तहसीलों में स्थापित उप केन्द्रों को आवश्यक संसाधनों सहित 24×7क्रियाशील रखा जाना साथ ही लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर अग्नि से बचाव हेतु नागरिकों को जागरूक करना।

1.9. अनुश्रवण एवं कार्यवाही:–

- हीट वेव का सर्विलॉन्स।
- हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशील जन समुदाय की विशिष्ट देखभाल।
- कार्य/व्यवसाय सम्बन्धित समर्थन एवं परामर्श।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशियल मीडिया के माध्यम से जन समुदाय में जागरूकता लाने हेतु वृहद स्तर पर आई0ई0सी0 अभियान चलाना।

2–रोकथाम, तैयारी और न्यूनीकरण के उपाय:–

2.1. लू–प्रकोप के दौरान–

- आपातकालीन प्रबंधन टीमों की प्रतिक्रिया की जानकारी लेना। सम्बन्धित विभागों के साथ उच्च स्तर की रिपोर्टिंग करना।
- समय–समय पर गर्मी की लहर से सम्बन्धित जागरूकता एवं सुरक्षा सम्बंधी सुझावों पर विज्ञापन, स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से भी फैलाना।
- अस्पतालों में दवाओं की कमी न होने देना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल फील्ड स्टॉफ और ए.एन.एम, आशा कार्यकर्ता आदि में चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा कार्यक्रमों की शुरूआत करना।

- विशिष्ट वार्डों की संवेदनशीलता पर ध्यान देना तथा 108 आपातकालीन सेवा के माध्यम से कमजोर वर्ग तक एम्बूलेंस सेवा समय पर पहुंचाना।

2.2. लू–प्रकोप के बाद–

- राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना और सुधार के लिये मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन करके हीट एक्शन प्लान का वार्षिक मूल्यांकन करना।
- सूचना और जनसम्पर्क विभाग विज्ञापन में सार्वजनिक संदेशों और सोशल मीडिया जैसे संचार के अन्य माध्यमों की पहुँच का मूल्यांकन करवाना।
- मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग के हीट वेव एक्शन प्लान की वार्षिक समीक्षा व मूल्यांकन करना।

2.3. गर्मी से सम्बन्धित बीमारी से निपटना:–

गर्मी से सम्बन्धित बीमारी तब होती है जब शरीर मे पर्याप्त मात्रा में ठंडक न हो। बीमारी गर्म वातावरण में शामिल होता है।यदि पीड़ित व्यक्ति सन स्ट्रोक से प्रभावित है तो तत्काल एम्बूलेंस को फोन करें, जब तक एम्बूलेन्स समय पर ना पहुंचे तब तक पीड़ित व्यक्ति को छांव (ठंडे तापमान)में ले जाएं। कूलर या छायांकित क्षेत्र में लेटाकर पानी से भीगे कपड़े मे लपेटकर शरीर का तापमान ठण्डा करने की कोशिश करें।

3–हीटवेव के दौरान (क्या करें, क्या न करें) :–

1. घर पर रहें रेडियो सुने, टीवी देखें और स्थानीय मौसम और कोविड–19 की स्थिति पर अपडेट/सलाह के लिए समाचार पत्र पढ़ें।
2. जितनी बार संम्भव हो पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, भले ही प्यास न हो। मिर्गी, हृदय रोग या यकृत रोग वालेव्यक्ति जो तरल आहार पर आश्रित हैं उनके तरल आहार सेवन को रोकने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिये ओ0आर0एस0(ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन), लस्सी, तोरानी(चावल का पानी), नींबू का पानी, छाछ आदि जैसे घरेलू पेय का इस्तेमाल करें।

3. हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, बाहर जाने से बचें यदि बाहर जाना आवश्यक है तो अपने सिर (कपड़े/टोपी या छाता) और चेहरे को कवर करें। जहां तक सम्भव हो किसी भी प्रकार के सतह को छूने से बचें। विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर मे रहें।
4. अन्य व्यक्तियों से कम से कम 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखें, साबुन और पानी से हाथों को बार–बार ठीक से हाथ धोएं। जब साबुन और पानी न हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें।
5. घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग तौलिये रखें। इन तौलियों को नियमित रूप से धोएं। जितना हो सके घर के अन्दर ही रहें।
6. अपने घर में ठंडक बनाए रखने के लिए पर्दे,पंखे, कूलर, शटर एवं सन शेड का उपयोग करें, और रात में खिड़कियां खोलें। निचली मंजिलों में रहने का प्रयास करें।
7. अधिक गर्मी से निपटने के लिये हल्के कपड़ो का प्रयोग करें और ठंडे पानी से स्नान करें।

8. यदि आपको सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी, तेज बुखार, तेज धड़कन, सिरदर्द, चक्कर आना आदि जैसी समस्या है, तो तुरन्त डॉक्टर से मिलें तथा धूप से बचें। ऐसे लोगों के सम्पर्क से बचें जो बीमार हैं।
9. जानवरों को छाया में रखें और उन्हे पीने के लिए भरपूर पानी दें।
10. खाना पकाते समय किचन के दरवाजे और खिड़की खोल दें जिससे किचन हवादार बना रहे।
11. शराब, चाय, कॉफी, और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें, ये शरीर को निजर्लित करते हैं। उच्च प्रोटीन, मसालेदार और तैलीयभोजन से बचें। बासी भोजन ना करें, बिना हाथ धुले अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं।
12. श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर स्वच्छ और ठंडा पेयजल की सुविधा प्रदान करें। श्रमिकों को सीधे धूप से बचने के लिये विशेष सावधानी बरतें। यदि उन्हें खुले में काम करना पड़ता है (कृषि मजदूर, मनरेगा मजदूर आदि), तो सुनिश्चित करें कि वे हर समय अपना सिर एवं चेहरा ढकें रहें। गर्भवती महिलाओं या कामगारों को चिकित्सीय स्थिति पर विशेष ध्यान दें।
13. सभी कार्यकर्ता मास्क पहनें, दूसरों से 1 या 1.5 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखें और हाथ की सफाई का अभ्यास करें। लगातार साबुन और पानी से हाथ धोएं।
14. रात मे खाने के स्थान का प्रबन्ध इस तरह से करें कि दो व्यक्तियों के बीच 1 या 1.5 मीटर की दूरी हो।
15. जब आप काम के बाद घर जाते हैं तो एक बार जरूर स्नान करें और अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को अच्छी तरह से धोएं।हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
16. यदि कोई बीमार है, तो उसे ड्यूटी पर्यवेक्षक को सूचित किया जाना चाहिए। कार्य स्थल पर तंबाकू न खाएं और ना ही धुम्रपान करें।सफाई कर्मचारियों को अपने सिर को ढकना चाहिए, मास्क और दस्ताने पहनना चाहिए।
17. किसी से भी हाथ ना मिलाएं और ना ही गले मिले, बीमार होने पर काम पर मत जाएं।
18. बाजारों और धार्मिक स्थानों जैसे भीड़ भरे स्थानों पर न जाए।

4– प्रशासनिक संरचनाः–

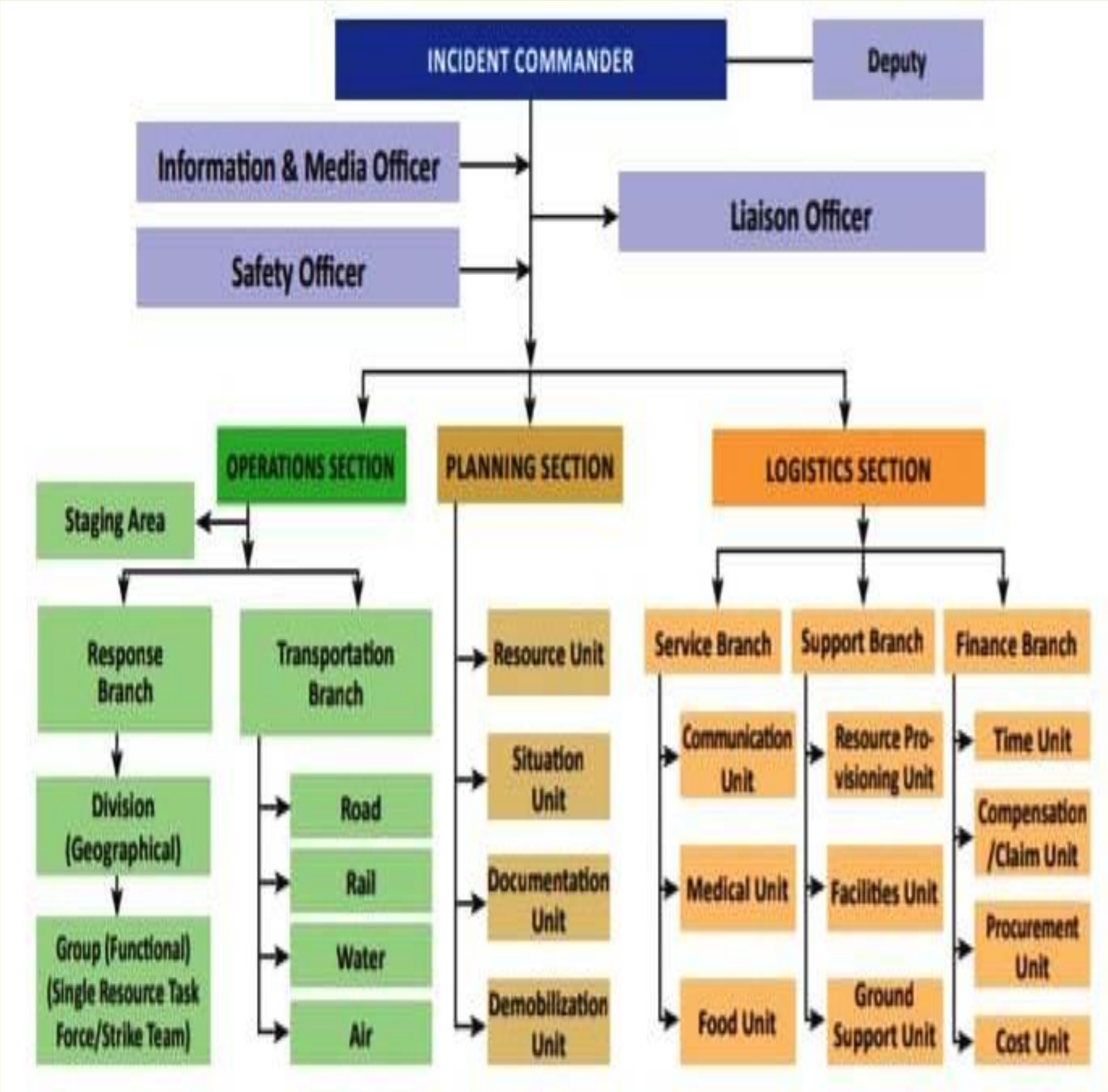

निष्कर्ष

''सभी विभाग/एजेन्सीज को समय से हीट वेव एक्शन प्लान तैयार कर अगले वर्ष के लिये तैयार रहना चाहिए। ताकि गर्मी से होने वाले नुकसान, मृत्यु एवं बीमारी को कम किया जा सके।''

दिनॉक– 10.03.2025 को जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक किया गया जिसमे हीट वेव से बचाव हेतु तैयारी की समीक्षा की गयी।

कार्यालय जिलाधिकारी गोण्डा।

संख्याः– 1813 / आपदा–प्रबन्धन / 2024–25 दिनांक 03 मार्च 2025

विषयः– जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक के सम्बन्ध मे।

1. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
2. मुख्य विकास अधिकारी,गोण्डा।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
4. नगर मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद, गोण्डा।
6. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
7. जिला पूर्ति अधिकारी, गोण्डा।
8. जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा।
11. जिला पंचायतराज अधिकारी, गोण्डा।
12. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम गोण्डा।
13. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–4।
14. सेना नायक 30वीं वाहिनी, पी0ए0सी0 गोण्डा।
15. सहायक निदेशक, सूचना गोण्डा।
16. जिला कार्यक्रम अधिकारी (ICDS) गोण्डा।
17. परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग गोण्डा।
18. डी0सी0 मनरेगा।
19. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, रोडवेज।
20. जिला अग्निशमन अधिकारी, गोण्डा।
21. जिला विद्यालय निरीक्षक,
22. सहायक श्रमायुक्त
23. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
24. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/ नगर पंचायत गोण्डा।
25. जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र
26. प्रतिनिधि नागरिक सुरक्षा संगठन
27. सचिव, रेडक्रास
28. सचिव रोटरी क्लब/ लायंस क्लब।

महोदय,

हीटवेब(लू),सूखा,अग्निकाड, सर्पदंश, डूबना, भूकम्प, उ0प्र0नाव सुरक्षा एंव नाविक कल्याण नीति 202 ग्राम पंचायतो व स्कूलो मे आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण, AWS/ARG वर्षा यन्त्र की निगरानी, ई0ओ0सी0 संचालन,राहत चौपाल, जिला स्तरीय इन्सीडेट रेस्पास सिस्टम कमेटी, आधी–तूफान, जन जागरूक आपदा न्यूनीकरण परियोजना (एस0डी0एम0एफ0),आपदा मित्र परियोजना, भीड़ प्रबन्धन,राहत अहेतुक वितरण आदि के सम्बन्ध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्ष कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 10.03.2025 को शाम 4:00 बजे बैठक आहूत किया गया है।कृपया उक्त बैठ सुसंगत तैयारियों के साथ प्रतिभाग करने का कृपा करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गोण्डा

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गोण्डा

कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा।

संख्याः– 1834 /आपदा/2024–25 दिनांकः 3 मार्च 2025

विषयः– जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक के सम्बन्ध मे।

सेवा में
मुख्य चिकित्साधिकारी
गोण्डा

महोदय,

आप अवगत है कि आगमी हीट वेव की तैयारी किया जाना अति आवाश्यक है हीट वेव तैयारी के सम्बन्ध में दिनॉक 10 मार्च 2025 को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण की बैठक आहूत की गयी है जिसमे निम्न सूचना के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करे। तथा सूचना की एक प्रति कापी दिनॉक 06 मार्च 2025 तक कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

1. हीटवेव हेतु अलग वार्ड संख्या–
2. दवा की उपलब्धता
3. एम्बुलेंस की उपलब्धता
4. मरीजों एंव तीमारदार हेतु बैठनें एवं पेयजल की उपलब्धता।
5. सर्पदंश सें बचाव एवं दवा की उपलब्धता।
6. हीट वेव से बचाव हेतु ग्राम स्तर पर की गयी बैठको की संख्या–

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गोण्डा

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गोण्डा

कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा।

संख्याः– 1832 /आपदा/2024–25 दिनांकः 3 मार्च 2025

विषयः– जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक के सम्बन्ध मे।

प्र० अधि० आपदा
जिलाधिकारी
04/03/25

सेवा में,
जिला पंचायत राज अधिकारी
गोण्डा

महोदय,

आप अवगत है कि आगमी हीट वेव की तैयारी किया जाना अति आवाश्यक है हीट वेव तैयारी के सम्बन्ध में दिनॉक 10 मार्च 2025 को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण की बैठक आहूत की गयी है जिसमे निम्न सूचना के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करे। तथा सूचना की एक प्रति कापी दिनॉक 06 मार्च 2025 तक कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

1. कुल तालाबों की संख्या–
2. जल से भरे तालाब की संख्या–
3. ग्राम पंचायतों में आपदाओं सें बचाव हेतु जागरूकता हेतु बैठक की संख्या–
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छा हेतु लगायी जानें हेतु कुल टीमो की संख्या–

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गोण्डा

प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गोण्डा

Identification of Heat Wave Related Casualties and Collection of Data

CASES AND DEATHS DUE TO HEAT RELATED ILLNESS- GONDA							
SR.NO.	DATE	NAME OF Distt.	NEW CASES ADMITTED DUE TO HEAT RELATED ILLNESS IN BLOCK	COMMULATIVE NO. OF CASES ADMITTED DUE TO HEAT RELATED ILLNESS IN BLOCK (Start from March 2025)	DEATHS REPORTES DUE TO HEAT RELATED ILLNESS IN BLOCK	COMMULATIVE NO. OF DEATHS DUE HEAT RELATED ILLNESS IN BLOCK	REMARK (IF ANY SHORTAGE OF IV FLUIDE/TREATMENT FACILITIES ETC.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1-	11-04-2025	Gonda	0	03	0	0	0

11.4.25

Chief Medical Officer
Gonda.

Format B: Details of the death reported due to Heat-Wave (record kept with State government)

S. No.	Name and Address	Age	Sex (M/F)	Occupation	Place of death	Date and time of death	Max Temp recorded (Rectal and Oral)	Deaths reported during heat wave period or Not	List of chronic diseases present (Ask the family members)	Date and time of post mortem (If conducted)	Date and time of joint enquiry conducted with a revenue authority	Cause of death	Remarks	
													Related to post-mortem	Related to Joint enquiry
1														
2														
3														
4														

Name and designation of the reporting officer: Signature with Date

Annexure- 7

Format A

DAILY REPORT OF HEAT STROKE CASES AND DEATHS (District report to State government)

S. No.	Village	PHC	Block/City	Name & Son/ Daughter/Wife of	Urban U Rural R	BPL Y/N	Age/Sex	Date of attack of Heat Stroke	Any Antecedent illness	Cause of death	Death confirmed by MOs and MROs

सूचना शिक्षा एवं संचार सामग्री (IEC Material)

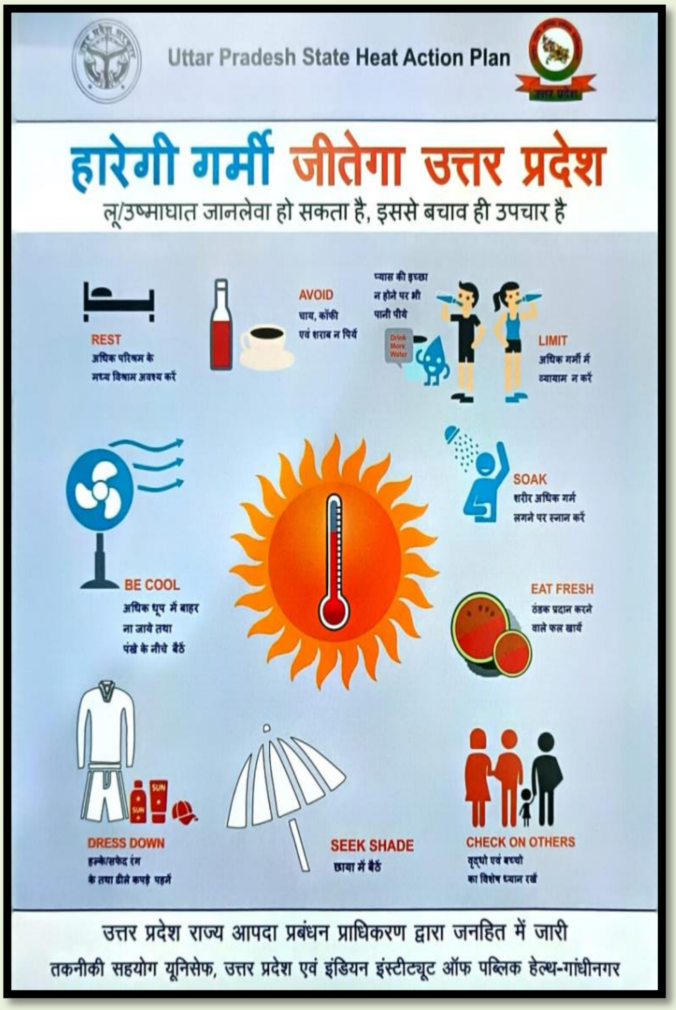

फायर हाइड्रेंट

हीटवेव से बचाव हेतु समस्त ग्राम पंचायतो में जल जीवन मिसन के अर्न्तगत पानी की टंकी लग रही है जिसमें फायर की घटना को न्यून करने हेतु फायर हाइड्रेट लगवाया गया है।

मीडिया कवरेज

डीएम ने की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग से संबंधित हीटबेव की तैयारियों की बैठक

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग की बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश- डीएम

शुभ दर्पण

गोण्डा। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की आपदाओं की तैयारियों से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग, रोडवेज विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, कार्यक्रम विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, बाढ़खंड विभाग तथा मनरेगा विभाग के अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।

बैठक के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में ग्राम पंचायतों के हैंड पंप को सही कर दिया गया है, साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी विद्यालयों में पंखा एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, तथा सभी संबंधित को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं कार्यक्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि हीट बेव की बचाव हेतु जनपद की सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी गौशालाओं में वृक्षारोपण कर छांव की व्यवस्था तथा पेयजल की व्यवस्था कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी सीएससी केन्द्रों पर दो बेड हीटवेब हेतु आरक्षित कर दिया गया है साथ ही जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त व्यवस्था कर ली गई है। बैठक के दौरान पीटीओ परिवहन शैलेंद्र त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि हीटबेव के दौरान गाड़ियों में हवा कम भरवायें ताकि गाड़ियों के दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी आनंद कुमार राय, जिला आपदा विशेषज्ञ श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा जनार्दन प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला कृषि अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन शैलेंद्र त्रिपाठी सहित अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सुबह टहलने निकला युवक लापता, गुमशुदगी दर्ज

शुभ दर्पण गोंडा। जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के इंदरपुर गांव निवासी आनंद ने रविवार को थाने पर दी गई तहरीर में कहा है कि शनिवार की सुबह उसका छोटा भाई अंशुमान रोज की भांति सुबह पांच बजे टहलने निकला था, लेकिन काफी समय तक वापस घर लौटकर घर नहीं आया तो परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में खोजबीन करने लगे, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने बताया की भाई की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और युवक तलाश की जा रही है।

डीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक

सभी विभागों को आपदा की तैयारियों को समय पर पूरा करने की अपील

विश्ववार्ता संवाददाता

गोण्डा। सोमवार को जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की आपदाओं की तैयारियों से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग, रोडवेज विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, कार्यक्रम विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, बाढ़खंड विभाग तथा मनरेगा विभाग के अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में ग्राम पंचायतों के हैंड पंप को सही कर दिया गया है।

साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी विद्यालयों में पंखा एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, तथा सभी संबंधित को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं कार्यक्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि हीट बेव की बचाव हेतु जनपद की सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी गौशालाओं में वृक्षारोपण कर छांव की व्यवस्था तथा पेयजल की व्यवस्था कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी सीएससी केन्द्रों पर दो बेड हीटवेब हेतु आरक्षित कर दिया गया है साथ ही जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त व्यवस्था कर ली गई है। बैठक के दौरान पीटीओ परिवहन शैलेंद्र त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि हीटबेव के दौरान गाड़ियों में हवा कम भरवायें ताकि गाड़यीों के दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी आनंद कुमार राय, जिला आपदा विशेषज्ञ श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा जनार्दन प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला कृषि अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन शैलेन्द्र त्रिपाठी सहित अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे।

राहत — शीतल जल, कूलर, ओआरएस कॉर्नर व स्वास्थ्य परीक्षण की मिलेगी सुविधा

शहर में बनेगा कूलिंग सेंटर

संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। ठंड के मौसम में अस्थायी रैनबसेरे की तरह अब गर्मी से बचाव के लिए शहर में कूलिंग सेंटर बनाया जाएगा। जहां लू के प्रकोप व तपिश से बचाने के लिए शीतल पेयजल और कूलर का समुचित इंतजाम होगा। ओआरएस कॉर्नर समेत चिकित्सीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।

परसपुर इलाके के खरथरी में अग्निशमन टीम के देरी से पहुंचने पर नाराज लोगों ने विरोध किया था। इसके बाद उच्चाधिकारी सकते में आ गए थे। मंगलवार को आपदा प्रबंधन की बैठक में डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि अग्निशमन विभाग अपना रिस्पांस टाइम हर हाल में बढ़ाएं। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने नगर पालिका के ईओ से कहा कि लू के प्रकोप व अप्रैल-मई की तपिश को देखते हुए शहर में कूलिंग सेंटर बनाया जाए। जहां राहगीर धूप से बचने के लिए ठहर सकें। कूलिंग सेंटर में शीतल जल के साथ ही कूलर व छाया समेत समुचित इंतजाम किए जाएं। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही ओआरएस कॉर्नर समेत अन्य व्यवस्थाएं की जाएं।

डीएम ने रोडवेज के एआरएम से कहा कि बस अड्डे के आसपास लू से बचाव के लिए पेयजल व लोगों के बैठने के लिए शेड आदि का इंतजाम कराया जाए। पंचायतीराज विभाग को तालाबों में पानी भरवाने व सीवीओ को गोशालाओं में पानी समेत अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने सभी एसडीएम से कहा कि अग्निकांड के तुरंत बाद पीड़ित परिवारों को मदद दी जाए। किसी भी दशा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आपदा विशेषज्ञ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उच्चाधिकारियों के स्तर से नगर पालिका परिषद को कूलिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तालाबों में पानी, अग्निशमन विभाग को रिस्पांस टाइम बढ़ाने और फौरन मदद के लिए निर्देश दिए गए हैं।

समय से पहले सभी तैयारियां पूर्ण करें: डीएम

अमर भारती ब्यूरो

गोण्डा। सोमवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की आपदाओं की तैयारियों से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग, रोडवेज विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, कार्यक्रम विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, बाढ़खंड विभाग तथा मनरेगा विभाग के अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।

बैठक के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में ग्राम पंचायतों के हैंड पंप को सही कर दिया गया है, साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा अवगत

बैठक को संबोधित करतीं डीएम नेहा शर्मा (फोटोः अमर भारती)

• डीएम ने की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग से संबंधित तैयारियों की बैठक

कराया गया कि जनपद के सभी विद्यालयों में पंखा एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, तथा सभी संबंधित को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं कार्यक्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि हीट बेव की बचाव हेतु जनपद की सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी गौशालाओं में वृक्षारोपण कर छांव की व्यवस्था तथा पेयजल की व्यवस्था कर ली गई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी सीएससी केन्द्रों पर दो बेड हीटवेब हेतु आरक्षित कर दिया गया है साथ ही जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त व्यवस्था कर ली गई है।

बैठक के दौरान पीटीओ परिवहन शैलेंद्र त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि हीटबेव के दौरान गाड़ियों में हवा कम भरवायें ताकि गाड़ियों के दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी आनंद कुमार राय, जिला आपदा विशेषज्ञ श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा जनार्दन प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला कृषि अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन शैलेन्द्र त्रिपाठी सहित अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे।

फगुआ गीतों पर झूमे श्रोता

परसपुर, गोण्डा (अमर भारती ब्यूरो)। आगामी होली त्यौहार को लेकर देवालयों सहित विभिन्न जगहों पर चौताल एवं फगुआ गीतों का आगाज देखने को मिल रहा है। गांव गाँव मे फगुआ गायन करने वालों की टोली निरन्तर सक्रीय है। इसी क्रम में परसपुर क्षेत्र के ग्राम पण्डित पुरवा निवासी राधारमण चतुर्वेदी के आवास पर फगुआ गायन का आयोजन किया गया। जिसमे फगुआ गायन करने वाली टोली ने पहुंचकर ढोल मंजीरे के साथ बहुत ही सुंदर गायन किया। इस दौरान पण्डित पुरवा निवासी स्वतंत्र पाण्डेय ने गाया मंदोदरी कहत पुकारी, हर लाये हैं जनक दुलारी तो वहीं उलारा गीत में गाया कि मन बसा मोर बृन्दावन मा, तथा धनन्जय तिवारी एवं सचिन पाण्डेय ने चौताल गाते हुये कहा कि जमुना तट कदम्ब की डारी जैसे कही फगुआ गीतों को गाया गया, जिसे सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गये।वहीं सौरभ तिवारी ने इन सभी गीतों में रंग भरने के लिये अपनी ढोलक पर बेहतरीन थाप लगाते हुये चार चांद लगा दिया। इस अवसर पर कोकिल चौबे,कमलेश पाण्डेय,अशोक कुमार पाण्डेय, विपिन पाण्डेय,देवब्रत पाण्डेय व जन्मेजय तिवारी सहित तमाम ग्रामीणजन मौजूद रहे।

सम्पर्क सूत्र

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जिलाधिकारी,कार्यालय गोण्डा
फोन नम्बर–05262–230125
टोल फ्री नम्बर–1077
Email:ddmagonda89@gmail.com

धन्यवाद